

## कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग,पाली संभाग-पाली

--: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 व 33 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 की अभिशंषा पर वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी (टीएसपी क्षेत्र) पद पर (पे मेट्रिक्स एल-10) वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम	जन्म तिथि	जिला	वर्ग	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18	2012-13	महेश कुमार	20-10-1969	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
2	37	2013-14	मोहनलाल	01-07-1964	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
3	45	2013-14	भगवती प्रसाद	22-06-1967	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
4	46	2013-14	सूर्यप्रकाश बंसल	27-11-1967	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
5	49	2013-14	श्रवण कुमार	06-03-1979	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
6	64	2013-14	जमनाराम	25-06-1967	सिरोही	अजा	SC	01-04-2022
7	27	2014-15	संजीव कुमार शर्मा	20-02-1975	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
8	51	2014-15	ललित सिंह	24-08-1978	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
9	9	2015-16	सिराजुदिन कुरेशी	17-06-1976	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
10	1	2017-18	निर्मल कुमार	13-02-1988	सिरोही	अजा	SC	01-04-2022
11	2	2017-18	निकिता मिश्रा	05-10-1989	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
12	3	2017-18	ईश्वरलाल पुरोहित	16-04-1987	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022

सेवानिवृत्त,मृत्यु एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपर्युक्त समस्त पदोन्नत कार्मिकों में से जो पदोन्नति पर कार्यग्रहण करना चाहते हैं वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान एवं पद यथावत कार्य करते हुए पदोन्नत पद की कार्यग्रहण रिपोर्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दिनांक 19.11.2022 तक प्रस्तुत करेंगे। तथा पदोन्नति परित्याग करने वाले कार्मिक पदोन्नति परित्याग की सूचना कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दिनांक 19.11.2022 तक प्रस्तुत करेंगे। संबंधित कार्यालयध्यक्षक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक से नियमानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95(33/01) दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार संतान घोषणा पत्र प्राप्त कर नियमानुसार पात्र होने पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करेंगे।

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा,पाली संभाग पाली

क्रमांक:-संनि/शिक्षा/पाली/संस्था-2/मंत्रालयिक डीपीसी/सप्रअ/टीएसपी/22/988 दिनांक :- 16-11-2022  
प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक माध्यमिक/ प्रारम्भिक राजस्थान बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही।  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि जिले के पदोन्नत कार्मिकों की कार्यग्रहण/परित्याग की समेकित सूचना दिनांक 22.11.2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/एडीपीसी/डाईट, सिरोही।
4. सम्बन्धित सीबीईईओ/कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

(संस्थापन)

उप जिला शिक्षा अधिकारी

(संस्थापन)

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली